

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़

6/23

प्रकरण संख्या 115/2023

उनवान

बृजमोहन कुमावत पुत्र चाँदमल जाति कुमावत निवासी बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने ग्राम सिलोरा  
तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0का0 अधिनियम 1955 व  
धारा 136 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956


-: : आदेश : :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी उदयपुरखुर्द व भू.अ.नि. सिलोरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार किशनगढ़ की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम उदयपुरखुर्द तहसील किशनगढ़ व जिला अजमेर की जमाबन्दी सम्वत् 2069-2072 में खाता संख्या नया 58 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार किशनगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही करे।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	उदयपुरखुर्द	58	बृजमोहन पुत्र चाँदमल हिस्सा 1/5 जाति सिलावट सा. देह खातेदार	बृजमोहन पुत्र चाँदमल हिस्सा 1/5 जाति कुमावत सा. देह खातेदार  शेष इन्द्राज जमाबन्दी बदस्तुर रहेगा।



आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28/06/2023 को खुले न्यायालय में  
सुनवाई जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ आर.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)